रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272128
CG-DL-E-28042026-272128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]	**नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2026/वैशाख 8, 1948**
No. 294]	**NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2026/VAISAKHA 8, 1948**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 318(अ).— केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2021 में, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद से संबंधिक क्रम संख्या 2 के सामने अनुसूची में ,-

(क) स्तंभ 10 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

''प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।'';

(ख) स्तंभ 11 में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रोन्नति:

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400) में, उक्त ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : इन संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पद धारण करने वाले विद्यमान पद धारकों के लिए पात्रता सेवा सात वर्ष बनी रहेगी।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात् :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक उपाधि; और

(ii) किसी शासकीय विभाग में प्रशासन या स्थापना या लेखा कार्य का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।''।

[फा. सं. I-12012/22/2016- संगठन (भाग)]

पी. एस. डंगवाल, निदेशक

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 4 अगस्त, 2021 को, सा.का.नि. 530(अ), तारीख 3 अगस्त, 2021 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2026

G.S.R. 318(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Group 'A' (Gazetted) Ministerial Posts, Recruitment Rules, 2021, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Group 'A' (Gazetted) Ministerial Posts, Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Home Affairs, Indo-Tibetan Border Police Force, Group 'A' (Gazetted) Ministerial Posts, Recruitment Rules, 2021, in the Schedule, against serial number 2 relating to the post of Senior Administrative Officer,—

(a) in column 10, for the entries**,** the following entries shall be substituted, namely:—

"By promotion, failing which by deputation." ;

(b) in column 11, for the entries**,** the following entries shall be substituted, namely:—

"**Promotion :**

Section Officer of Indo-Tibetan Border Police Force in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with nine years regular service in the grade and having successfully completed at least two weeks training as prescribed by competent authority.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the these amendment rules.

Deputation:

Officers of the Central Government:

(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service rendered after appointment to the said post on a regular basis in posts in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500) or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-

(i) bachelor degree from a recognised University or institute; and

(ii) two years experience in administration or establishment or accounts work in a Government department.

Note 1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.".

[F. No. I-12012/22/2016-Org(Part)]

P.S. DANGWAL, Director

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), dated the 4th August, 2021 *vide* number G.S.R. 530 (E), dated the 3rd August, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA